

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 21.01.2026

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल व खोखा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में 30नि0 नवीन कुमार राय द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2026 धारा 190,191(2),191(3),109, 308, 352,351(3) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्ता अंशिका सिंह पुत्री स्व0 रामशंकर सिंह निवासी झुडीया बाबू थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा से पैसों की मांग की गयी तथा पैसे न देने पर जान से मारने व दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गयी, वादी द्वारा पैसे न दे पाने की असमर्थता जताने पर अभियुक्ता द्वारा अवैध पिस्टल से वादी मुकदमा पर फायर कर दिया गया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता :-

अंशिका सिंह पुत्री स्व0 रामशंकर सिंह निवासी झुडीया बाबू थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 21/2026 धारा 190,191(2),191(3),109,308,352,351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 नवीन कुमार राय चौकी प्रभारी ई0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 नीरज कुमार शाह ई0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 इंद्रजीत यादव ई0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 राजू यादव ई0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. म0 का0 वैशाली शर्मा ई0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर